32

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 38/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.वि./2007 रायपुर, दिनांक: 12.2.2007

.....परिपत्र.....

कार्य विभाग मेन्युवल 1983, भाग, भाग-1-नियम के पैरा क्रमांक 2083 के अनुसार ऐसी समस्त निविदायें जिनकी राशि रू. 25.00 लाख या अधिक है तथा समस्त लम्पसम निविदायें तीन लिफाफा पद्धति में बुलाई जाना चाहिए । ऐसी निविदाओं में अमानत राशि का लिफाफा "ए" एवं शर्तो का लिफाफा "बी" खोलने के उपरांत अधीक्षण अभियंता, द्वारा ठेकेदारों के विचार सुनकर कामन सेट ऑफ कन्डीशन्स बनाई जायेगी एवं ठेकेदारों को कामन सेट ऑफ कन्डीशन्स के आधार पर पुनरीक्षित आफर, यदि कोई हो, देने निर्देशित किया जावेगा । ऐसी निविदाएं यदि बिना शर्त की भी हो तो भी निविदाओं का वित्तीय आफर यथा स्थित मण्डल कार्यालय में खोली जावेगी ।

उपरोक्त प्रावधान से यह स्वतः स्पष्ट है कि निविदा खोनले की तिथि का निर्धारण कर मण्डल कार्यालय में निविदाएं खोली जाना चाहिए । किसी भी लागत की समस्त लम्पसम निविदायें **चाहे सशर्त हो अथवा निशर्त** हो, मण्डल कार्यालय में ही खोली जाये । इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाये ।

सहपत्र - शुन्य ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 1247/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.वि./2007 रायपुर, दिनांक: 12-2-07

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, ... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
6. लेखा शाखा ।

T.S. / D.B. / ... / O.S.
S.E.

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर